(45)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/0833

प्र.क.–

मो0 सारिक आत्मज मो0 सादिक खां
आयु वयस्क निवासी–48 कांग्रेस नगर भोपाल .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमति शाहिदा गौहर पत्नि स्व. अब्दुल रशीद खां
आयु वयस्क निवासी–कांगेस नगर कालोनी
नगर निगम के सामने, भोपाल .... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक– 11/1/18 पारित द्वारा अपर कलेक्टर (उत्तर भोपाल) के प्र.क. 0024/अपील/ 2017–18 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कर रहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/0833

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 11–1–18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पूर्ण विचारोपरान्त निरस्त कर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया है । अपील स्टेज में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में किसी अभिलेख को बुलाना पीठासीन अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	